



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256554
CG-DL-E-22082024-256554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3227]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/श्रावण 30, 1946

No. 3227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/SHRAVANA 30, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3543 (अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने, अधिसूचना संख्या का.आ. 3132 (अ), दिनांक 15 सितंबर 2020, द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुरानी संख्या एनएच-47) के किमी 486/500 से किमी 499/500 (कोल्लम बाईपास खंड) तक के खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्धृति और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा, अधिसूचना संख्या का.आ. 3132 (अ), दिनांक 15 सितंबर, 2020 के तहत परियोजना खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण से छूट देती है।

तदनुसार, विषयगत खंड पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए पिछली अधिसूचना संख्या का.आ. 3132 (अ) दिनांक 15 सितंबर, 2020 को उपरोक्त पैराग्राफ -1 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के

लिए अगली अधिसूचना प्रकाशित होने तक निरस्त किया जाता है।

[फ़ा. सं.- 15031/पीआईयू-टीवीएम/कोल्लमटीपी/2023/ई-228769]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O.3543 (E).— in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, by notification number S.O.3132 (E) dated 15th September, 2020, has authorised the National Highways Authority of India to levy and collect fee on mechanical vehicles for the use of section from Km 486/500 to Km 499/500 (Kollam Bypass Section) of National Highway No. 66 (Old No. NH 47) in the State of Kerala.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby exempts the user fee collection for the project stretch under notification number S.O.3132 (E) dated 15th September, 2020.

Accordingly, previous notification number S.O.3132 (E) dated 15th September, 2020 for user fee collection on subject stretch stands rescinded till further notification is published for the said section of National Highway as mentioned in paragraph-1 above.

[F. No 15031/PIU-TVM/KollamTP/2023/E-228769]

SUMAN PRASAD SINGH , Jt Secy

.